Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Civil Aviation
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

B/107, Harmu Housing Colony, P. O. Doranda,
P. S. Argora, Ranchi - 834 012
Ph. : 0651-2244144

मीडिया रीलिज

इस्लामनगर ढ़हाने के लिए झारखण्ड सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 'कारण बताओ' नोटिस

संविधान के अनुच्छेद 21 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन का साफ मामला

राज्य सरकार से 27 मई 2013 तक जवाब तलाब किया

जवाब न देने पर आयोग उचित कार्यवाही कर सकता है

सांसद परिमल नथवाणी की पहल पर आयोग ने की जांच और निकाला निष्कर्ष

इस्लामनगर के विस्थापितों और पीडित परिवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी

रांची : मई 5, 2013 : आज से ठीक दो साल और एक महीना पहले 5 और 6 अप्रैल 2011 को शहर के इस्लामनगर, अलीनगर, कलेक्टर कार्यालय के पीछे और वेजीटेबल मार्केट की स्लम बस्तियों को बर्बरतापूर्वक ढहाए जाने के विरोध में सांसद श्री परिमल नथवाणी ने रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, रांची नगर निगम और पुलिस के खिलाफ 25 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष गुहार लगाई थी। इस याचिका के प्रतिभाव में, आयोग ने जांच कर के झारखण्ड सरकार को 5 अप्रैल 2013 के रोज 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया तथा 27 मई 2013 तक जवाब मांगा है। आयोग की तरफ से झारखण्ड सरकार को यह नोटिस 8 अप्रैल 2013 को जारी हुआ। आयोग ने यह भी इत्तला दी कि नोटिस का जवाब न देने पर आयोग जो जरूरी समझे ऐसी उचित कार्रवाई करेगा।

आयोग ने नोटिस में जिन कारणों का जवाब सरकार से मांगा वे हैं : (1) जिन दो लोगों ने जानें गंवाईं उनके स्वजनों को अंतरिम राहत के तौर पर मुआवजा क्यों न दिया जाए, (2) घायल लोगों को उनकी शारीरिक क्षति के लिए मुआवजा क्यों न दिया जाए, (3) जो संपत्ति सरकारी नौकर की गैरकानूनी और क्रूर कार्यवाही से नष्ट हुई उसकी रकम विस्थापितों को क्यों न दी जाए, (4) जब तक विस्थापितों को

उसी जगह पर या उनके कार्य–स्थल के निकट अन्यत्र न बसाया जाए तब तक उन्हें किसी वाजिब रकम बतौर किराया क्यों न दी जाए (क्यों कि कानून के मुताबिक ऑर्डर बजाकर उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित नहीं किया गया है; और गैरकानूनी ढंग से, क्रूरतापूर्वक कानून का उल्लंघन कर के तथा समयावधि की सीमा पूरी होने से पहले उन्हें हटाने की कार्यवाही की गई) ।

सांसद श्री परिमल नथवाणी की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.सी.पटेल और श्री सत्यव्रत पाल के कोरम ने सभी तथ्यों का अध्ययन किया, समग्र मामले की जांच की और जो निष्कर्ष निकाला वह चौंका देनेवाला है । आयोग का मानना है कि प्रथम द्रष्टि में सरकारी नौकरशाहों ने इस मामले में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया । संविधान के अनुच्छेद 21 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किया । कानूनन कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया । इसके चलते दो लोग मारे गए, आठ लोग घायल हुए, बाकी लोगों ने अपनी संपत्ति गंवाई और उन्हें गैरकानूनी ढंग से हटाया गया । इसलिए, मानव अधिकारों का रक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अधीन झारखण्ड सरकार को उसके मुख्य सचिव के जरिये नोटिस बजाना जरूरी है ।

ज्ञातव्य है कि जब कोर्ट के आदेश के नाम पर रांची में तथाकथित अतिक्रमण हटाने की मुहीम चली तब सांसद श्री नथवाणी ने जाहिरा तौर पर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी । श्री मोहम्मद शकील को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करवाने में सहायता की । सर्वोच्च न्यायलय ने मामला झारखण्ड उच्च न्यायालय में ट्रान्सफर किया । उच्च न्यायलय की बात सुनने से पहले सत्ताधीशों ने निर्ममता से कार्रवाई की, इस्लामनगर ढहाया गया और जान–माल की बरबादी की । हालांकि श्री नथवाणी की पहल पर अदालत का आशरा लेना मिल्लतनगर के लिए आशीर्वाद बनकर आया और वह उजड़ने से बच गया । उच्च न्यायालय ने 12 मई 2011 को अपने आदेश के तहत राज्य सरकार प्रशासन को 13 महीने के भीतर विस्थापितों को निवास–स्थान उपलब्ध कराने के लिए कहा जिसमें सरकार विफल रही । इसलिए न्यायालय के 'तिरस्कार की अर्जी' दी । जनवरी 2013 को उच्च न्यायालय ने सरकार से जुलाई 2013 में स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ।

श्री नथवाणी ने इस्लामनगर के ढ़हाए जाने के बाद भी बिजली के बिलों के बाकी भुगतान का जो मामला था उसमें सहायता करते हुए फरवरी 2013 तक के रुपये दो लाख की रकम खुद अदा की । स्थानीय लोगों की एक समिति बनवाई जो आगे से मिलजुल कर बिजली के बिलों को भरने की व्यवस्था करे ।

उस बीच, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की इस नोटिस से इस्लामनगर के निवासियों को एक बार फिर उम्मीद की किरन दिखाई दी है । उन्होंने जो खोया है; अपना मान–सम्मान, आत्म–गौरव, अपना जान–माल और दो प्रियजन, वह हूबहू तो उन्हें न मिले लेकिन अब भी सरकार आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल करती है तो कम से कम विस्थापितों के घावों पर कुछ मरहम जरूर लगेगा । देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उनका भरोसा कायम रहेगा ।

★ ★ ★